

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या 48/2022

अनवान

1. सुरेशचन्द्र पुत्र श्री नारायण मेहतर(हरिजन)निवासी मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
-प्रार्थी

बनाम

1. डालु पुत्र बंशी खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. रामनिवास पुत्र श्री नारायण लाल जाति मेहतर(हरिजन) निवासी मंगरोप तह हमीरगढ।
3. सुरेशचन्द्र पुत्र श्री मगना जाति खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. चुन्नीलाल पुत्र श्री कनीराम खटीक नि-मंगरोप तह हमीरगढ।
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह महाजन निवासी सीताराम जी की बावडी के पास भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भूअ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1180 की कृषि भूमि की आ0न0 1846/1 रकबा 0.2403 है0, कुल किता 01 रकबा 0.2403 है0 वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भूअ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 1180 की कृषि भूमि की आ0न0 1846/1 रकबा 0.2403 है0, कुल किता 01 रकबा 0.2403 है0 जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-रु0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।




(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाडा

